न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 21/2020 निर्णय दिनांकः 21.12.2022
ऑनलाईन नंबर 2020/00046

1. दिनेश कुमार पुत्र श्रीकिशन जाति बिहानी (महेश्वरी) निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. सीमा पुत्री श्रीकिशन जाति बिहानी (महेश्वरी) निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर जरिये अपने मुख्त्यारआम किशनलाल डागा पुत्र श्री रामचन्द्र डागा जाति डागा निवासी बिग्गाबास, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. शांतिदेवी पत्नी चैनसिंह जाति सुण्डा जाति जाट निवासी सदर थाना के पीछे, सीकर तहसील व जिला सीकर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. चैनसिंह पुत्र बिड़दाराम जाति सुण्डा जाति जाट निवासी सदर थाना के पीछे, सीकर तहसील व जिला सीकर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री ओमप्रकाश पंवार अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 01 व 03
3. पैरोकारराराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। प्रार्थीगण आपस में सगे भाई—बहिन हैं। प्रार्थी संख्या 2 ने वादगत खसरा बाबत अपने पति किशनलाल डागा को अपना मुख्त्यार आम नियुक्त कर रखा है तथा वादगत कृषि भूमि के संबंध में समस्त प्रकार के अधिकार प्रदान कर रखे हैं। प्रार्थी संख्या 2 के मुख्त्यार आम को वादगत कृषि भूमि के संबंध में सभी तथ्यों का ज्ञान हैं। यह है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 2.7800 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में आने जाने का कोई रिकॉर्डेड कट्टाणी रास्ता मौजूद नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 3 चैनसिंह के खेत खसरा नम्बर 177 में एनएच 11 से फंटकर खेत खसरा नम्बर 177 की पूर्वी सीमा के पास—पास व अप्रार्थी संख्या 1 शांतिदेवी के खेत खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के पास—पास से होते हुये, प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नम्बर 180 में प्रवेश करते हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा उक्त गैरमुमकिन रास्ता को बार—बार बंद कर दिया जाता है तथा प्रार्थीगण को भी उक्त रास्ते में से फंटकर अपने खेत में प्रवेश करने से बार—बार रोक दिया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए रोकते रहते हैं। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रास्ते को बार—बार खुलावाना पड़ता है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 3 उक्त रास्ता को बंद कर देता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 द्वारा उक्त गैर मुमकिन रास्ता को बार—बार बंद कर देने से व प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को काश्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। यह है कि प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का उपर्युक्त रास्ता आवश्यकता का रास्ता है प्रार्थीगण का उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के खेत की भूमि में से होकर हैं। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आगमन का शुरू से ही चला आ रहा है। इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी भूमि में आते जाते रहे हैं। यह है कि खेत खसरा नम्बर 177 में एनएच 11 से फंटकर खेत खसरा नम्बर 177 की पूर्वी सीमा के पास पास 112 मीटर लम्बाई, 5 मीटर चौड़ाई व खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के पास पास से होता हुआ 363 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 475

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.06 12:53:19 IST
Reason: SelfAttested

मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई प्रार्थीगण के खेत के रास्ता के दर्शाते हुये नजरी फर्द मौका का नक्शा संलग्न किया जा रहा है, जिसमें लाल स्याही से मार्क ए से बी दर्शाया हुआ है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 3 चैनसिंह व शांतिदेवी की भूमि में से गुजरता हैं। उक्त रास्ता से प्रार्थीगण अपने खेत में जाता है, जो अत्यन्त ही आवश्यकता का व प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, उक्त रास्ता सुविधा का ना होकर आवश्यकता का रास्ता है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता मौका पर मौजूद नहीं हैं। यह है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि तक पहुंचने के लिए रास्ता की आवश्यकता है, रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है यही एकमात्र रास्ता हैं। जिससे प्रार्थीगण शुरू से ही इसी रास्ते होकर अपनी भूमि में आते जाते रहे हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा उक्त रास्ता को बार बार बंद कर देने के कारण प्रार्थीगण नजरी फर्द मौका नक्शा में लाल स्याही से दर्शाये मार्क A से B के रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को रास्ते के क्षेत्रफल की नियमानुसार कीमत अदा करने को तैयार हैं। यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 3 से उक्त रास्ता बंद ना करने का बार बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ने प्रार्थी को रास्ता देने से दिनांक 20.02.2022 को स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया। यह है कि प्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 2.7800 हैक्टेयर रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर के काबिज खातेदार कृषक हैं। प्रार्थीगण को इन्कारी की दिनांक से वादहेतु व वादगत खेत के खातेदार कृषक होने से वादाधार प्राप्त हैं। यह है कि विवादित रास्ता की भूमि रोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित हैं। इसलिए प्रार्थना– पत्र मान्य न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में हैं। यह है कि प्रार्थना–पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर व अन्द मिंयाद प्रस्तुत हैं।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 180 तादादी 2.17800 हैक्टेयर वाकेरोही जैसलसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में आवागमन हेतु रास्ता अप्रार्थी संख्या 3 चैनसिंह के खेत खसरा नम्बर 177 तादादी 3.0400 हैक्टेयर की पूर्वी सीमा के पास–पास 112 मीटर लम्बाई, 5 मीटर चौड़ाई व खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के पास पास से होता हुआ 363 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई कुल 475 मीटर लम्बाई व 5 मीटर हैं। उक्त रास्ता को अप्रार्थी चैनसिंह व शांतिदेवी के खेत खसरा नम्बर 177 व 179 में गैरमुमकिन कट्टाणी रास्ता दर्ज का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 की जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का खंडन करतें हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण तोलियासर से जैसलसर जाने वाले कटाणी रास्ता पर जिस पर काकरिया सडक बनी हुई है से फंटकर खेत खसरा नंबर 185 से अपने खेत की पश्चिमी कूट से अपने खेत में प्रवेश करतें है, जो वर्तमान में चालू रास्ता है, परन्तु प्रार्थीगण लालचवश अपने खेत को सडक से जोडने के लिये अप्रार्थीगण के खेत में से [illegible] कायम करवानें की फिराक में है, जबकि प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 180 में प्रवेश का [illegible] मान है, जो खसरा नंबर 185 से अपने खेत [illegible] है। [illegible]धार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि [illegible] प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वादगत रास्ता को चालू बताया है और [illegible] बंद करना बताया, बंद रास्ते को खुलवाने का अधिकार राजस्थान काश्तकारी [illegible] नियम की धारा 251 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.06 12:53:19 IST
Reason: SelfAttested

अन्तर्गत तहसीलदार न्यायालय को है इसलिए बंद रास्ते को खुलवानें का अधिकार अदालतवाला को नहीं है, इस प्रार्थना पत्र का श्रवधाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र दिनांक 13.03.2020 को पेश किया, उस समय जो तथ्य अपने प्रार्थना पत्र में लिखे है अब संशोधित करवाकर उसी वाद हेतु को लेकर मुझ अप्रार्थी संख्या 3 के खेत में से गलत रूप से मौके के विपरीत वैकल्पिक रास्ता पहले से दुसरा चल रहा है मुझ अप्रार्थी संख्या 3 को नुकसान पहुंचाने के उद्वेश्य से सीधा एनएच 11 से अपने खेत को जोडने के लिए गलत रूप से कानून के विपरीत रास्ता कायम करना चाहते है,जबकि मेरे खेत में प्रार्थीगण का कभी भी रास्ता नहीं रहा है।

हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा के पास पास से होता हुआ 363 मीटर लम्बाई व 5 मीटर चौड़ाई का कुल 1815 वर्ग मीटर भूमि खेत खसरा नम्बर 179 की पूर्वी व दक्षिणी सीमा तक गैर मुमकिन रास्ता के रूप में लाल स्याही अंकन किया जाकर रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 179 में से 1815 वर्गमीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में ली जायगी जिसका डी.एल.सी रेट से दुगनी प्रतिकर प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाया जाना न्यायोचित है। जिसकी कुल प्रतिकर राशि 95700/—रूपये बनती है। उक्त प्रतिकर राशि का बैंक ड्राफ्ट प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम निर्णय के 15 दिवस में अप्रार्थी संख्या 2 को प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 179 में से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते का अंकन आदेशानुसार कर रिकार्ड में अमल दरामद करें। तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 से खेत खसरा नंबर 177 तादादी 3.04 हैक्टेयर जिसमें 0.0300 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नंबर 179 तादादी 5.8300 हैक्टेयर में 0.3800 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता कटाणी रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो मौके पर बन्द है को तहसीलदार श्रीडूंगरगढ उक्त कटाणी मार्ग को खुलवाकर आवागमन चालू करावें।

आदेश आज दिनांक 21.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.01.06 12:53:19 IST
Reason: SelfAttested